बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ०बजट०विविध–35/2014– 2405 /कृ0, पटना, दिनांक 12-05-, 2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, कृषि/उद्यान/भूमि संरक्षण/पी० पी० एम० बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण/उपयोगी अनुसंधान/अभियंत्रण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल/संयुक्त कृषि निदेशक, (पाट) पूर्णियाँ/उप कृषि निदेशक, (पाट), समस्तीपुर/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक, तेलहन/सूचना/कम्पोष्ट/शिक्षा/गुण नियंत्रण प्रयोगशाला/बीज निरीक्षण/बीज परीक्षण/बीज विश्लेषण/अभियंत्रण/पौधा संरक्षण/उप कृषि निदेशक, मिट्टी जाँच, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र आरा/पूर्णियाँ/ मोतिहारी/प्राचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी/सभी सहायक मिट्टी रसायनज्ञ/सभी कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास, बिहार, पटना/दलहन विकास पदाधिकारी, बड़हिया/सहायक निदेशक (प्रसार)– सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष, 2014–15 में माह मार्च, 2015 तक हुए व्यय का सत्यापन महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–5133 दिनांक–14.11.2014, पत्रांकः–768 दिनांक–09.02.2015, पत्रांकः–1300 दिनांक–12.03.2015 एवं पत्रांकः–2117 दिनांक–21.04.2015।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में हुए व्यय का सत्यापन करने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक मात्र 6% ही सत्यापन का कार्य पूरा हुआ है। महालेखाकार बिहार, पटना का अर्ध०स०पत्र सं०–24(15–16) दिनांक–16.04.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है। प्रत्येक तीन माह पर लेखा का सत्यापन कराया जाना बिहार वित्तिय नियमावली के नियम 475 के तहत आवश्यक है। इसके लिए अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों से सत्यापन दल को महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त करते हुए सत्यापन की कार्रवाई दिनांक–25.05.2015 तक पूरी कर लेना सुनिश्चित किया जाए।

महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से विभागीय व्यय के आँकड़ो का सत्यापन कराकर इसकी प्रति सहायक, सांख्यिकीज्ञ–सह–प्रभारी पदाधिकारी, "बजट", कृषि विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 11/5/15
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 2405 /कृ0, पटना दिनांक 12-05-2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि सत्यापन दल को अपेक्षित सहयोग करने का निदेश संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को देने की कृपा की जाय।

2. वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. उप निदेशक, (शष्य) सूचना /आई टी मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/5/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Rashmi dt-09.05.2013..doc